



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 560 राँची, सोमवार,

2 सितम्बर, 2024 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई, 2024

ज्ञापांक-3 बी./क्षे.स्था. (प्रा.नि.)-19/2018-2705--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत प्रारूपकार संवर्ग में भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भाग-I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- यह नियमावली "झारखण्ड राज्य प्रारूपकार (वन) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2024" कहलायेगी।
- इसका विस्तार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड के सभी कार्यालयों में होगा।
- यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ:-

- (क) “राज्य” से अभिप्रेत है, “झारखण्ड राज्य”।
- (ख) “सरकार” से अभिप्रेत है, “झारखण्ड सरकार”।
- (ग) “विभाग” से अभिप्रेत है, “वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग”।
- (घ) “आयोग” से अभिप्रेत है, “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग” अथवा सरकार द्वारा चयन हेतु प्राधिकृत प्राधिकार/आयोग।
- (ङ) “संवर्ग” का अर्थ है, झारखण्ड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत प्रारूपकार का संवर्ग।
- (च) “नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, “वन संरक्षक”।
- (छ) “परीक्ष्यमान” से तात्पर्य है, वह सरकारी सेवक जो प्रारूपकार संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरुद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो।
- (ज) “वरीयता सूची” से अभिप्रेत है, प्रारूपकार संवर्ग की जिला स्तरीय वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो।
- (झ) “नियंत्रि पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, सम्बद्ध कार्यालयों के वन प्रमण्डल पदाधिकारी या उनसे अन्यून नियंत्रि पदाधिकारी।
- (ञ) “भर्ती वर्ष” से अभिप्रेत है, कैलेन्डर वर्ष (1 ली जनवरी से 31 दिसम्बर)।

भाग- II**3. संवर्गीय संरचना एवं बल:-**

- (क) प्रारूपकार संवर्ग में निम्न कोटि/पदनाम के पद होंगे:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी
1	प्रारूपकार (मूल पद)	5200-20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रु. 2400 लेवल - 4	समूह-ग	अराजपत्रित
2	वरीय प्रारूपकार (प्रोन्नति के पद)	5200-20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रु. 2800 लेवल - 5	समूह-ग	अराजपत्रित
3	प्रधान प्रारूपकार (प्रोन्नति के पद)	9300-34800 (PB-II) ग्रेड वेतन रु. 4200 लेवल - 6	समूह-ख	अराजपत्रित

कोटि के वेतनमान एवं समूह वही होंगे जो समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

(ख) अधिकृत बल:- प्रारूपकार के पदों के अधिकृत बल वही होंगे जो विभाग में सर्वेक्षण, वन-प्रबंधन के नक्शा का निर्माण, नक्शा का परीक्षण तथा प्राक्कलन निर्माण तैयार करने, अमीन के कार्यों को Supervise करने, अन्य विभागों के समकक्ष पदाधारियों से समन्वय करने, विभिन्न न्यायालयों में वन भूमि संबंधी विवादों पर विभाग का प्रतिनिधित्व करने आदि कार्यों के लिए वर्तमान अधिकृत बल हैं या इस कार्य हेतु समय-समय पर स्वीकृत किया जाय।

(ग) प्रारूपकार संवर्ग के पदों की अनुमान्यता:- विभाग अपने नियंत्रणाधीन प्रारूपकार संवर्ग में आवश्यकता के आधार पर संरचना, स्वीकृत बल एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण करेगा। विभाग के अधीन स्वीकृत संवर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता निम्न प्रकार निर्धारित होगी:-

(i) स्वीकृत बल का 30 प्रतिशत वरीय प्रारूपकार के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

(ii) स्वीकृत बल का 20 प्रतिशत प्रधान प्रारूपकार के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

(घ) प्रारूपकार एवं वरीय प्रारूपकार का पद जिलास्तरीय पद होगा एवं प्रधान प्रारूपकार का पद राज्यस्तरीय पद होगा।

4. (क) प्रारूपकार के मूल पद पर भर्ती की प्रक्रिया:-

(i) रिक्ति की गणना:- प्रत्येक वर्ष 1ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेगी।

(ii) आरक्षण:- राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

(ख) शैक्षणिक योग्यता:-

(i) प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) अभ्यर्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैन सिविल/मैकेनिकल ट्रेड का प्रमाण-पत्र धारी होना अनिवार्य है।

(iii) **वांछनीय योग्यता:-** कम्प्यूटर चालन एवं GIS (Geographical Information Systems) & GPS (Global Positioning System) का व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।

(ग) उम्र सीमा:-

प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति हेतु अध्याचना वर्ष की 1वीं अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगी।

5. चयन प्रक्रिया:-

(क) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग भाषा ज्ञान, चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा, एवं सामान्य ज्ञान विषयों में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकार की अध्याचना के अनुरूप सम्बद्ध कार्यालय को मेधा सूची उपलब्ध करायेगा।

(ख) प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आवश्यकता के अनुरूप निम्न वर्णित पाठ्यक्रम का निर्धारण कर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(ग) सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा निम्नवत् होगी:

(i) लिखित परीक्षा

(ii) चिकित्सीय परीक्षण

(घ) लिखित परीक्षा का स्वरूप: लिखित परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्यपरीक्षा) में ली जाएगी। लिखित परीक्षा तीन पत्रों का होगा जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा:

(i) **प्रथम पत्र: भाषा ज्ञान**

हिन्दी	-	50 अंक
अंग्रेजी	-	50 अंक
कुल	-	100 अंक

(ii) **द्वितीय पत्र: चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा- कुल-100 अंक**

जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा। जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची एवं पाठ्यक्रम जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर संसूचित होंगे, वही लागू होंगे।

(iii) **तृतीय पत्र: सामान्य ज्ञान**

सामान्य विज्ञान	-	15 अंक
सामान्य गणित	-	15 अंक
मानसिक क्षमता जाँच	-	15 अंक
कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (विशेषकर GIS एवं GPS संबंधित)	-	15 अंक
प्रारूपकार विषयों पर सामान्य अध्ययन तथा नक्शा निर्माण	-	20 अंक
जी. आई. एस. तथा जी. पी. एस. से संबंधित प्रश्न	-	20 अंक
कुल	-	100 अंक

- (ड.) प्रारूपकार विषयों, जी. आई. एस. तथा जी. पी. एस. विषय से संबंधित प्रश्न पत्र इस उद्देश्य से परिकल्पित किये जायेंगे जिससे भूखण्ड की माप, सर्वे, नक्शा पठन एवं नक्शा के निर्माण की क्षमता का पता चल सके।
- (च) चयन हेतु न्यूनतम अहर्ताक का सामान्य रूप से निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 3928 दिनांक 11.08.2020 की कंडिका-III के आलोक में निम्न रूप से होगा:-

सामान्य वर्ग	40%
पिछड़ा वर्ग-2	36.5%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनक्चर-1	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32%
आदिम जनजाति	30%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40%

झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित अद्यतन प्रावधान इस नियमावली में लागू होंगे।

(छ) चिकित्सीय परीक्षण:-

- (i) इस कण्डिका की उप-कण्डिका-(ii) में अंकित प्रावधान एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। चिकित्सीय परीक्षण स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार/निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ झारखण्ड सरकार द्वारा आयोग के अनुरोध पर गठित चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। आयोग द्वारा तैयार की गई मेधा सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। आयोग को अभ्यर्थियों हेतु चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन उक्त चिकित्सा पर्षद् द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ii) नियुक्ति हेतु स्वस्थ घोषित होने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी को ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। इसकी पुष्टि तदर्थ गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। नियुक्ति के लिए एक आँख से दृष्टिहीन, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, भेंगापन (Paralex Eyesight) तथा Colour Blind अभ्यर्थियों की अनुशंसा नहीं की जाएगी। दृष्टि का मापदण्ड 6/6 होगा। फ्लैट-फुट (Flat foot), नोक-नी (Knock knee) नहीं होना चाहिए।

- (iii) चिकित्सीय परीक्षण में असफल अभ्यर्थियों के अपील हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा गठित Apex Medical Board में अपील करने का प्रावधान होगा।
- (ज) **आरक्षण:-** नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित अद्यतन आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

6. नियुक्ति:-

अध्याचित रिक्तियों के विरुद्ध आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसित नामों के मेधाक्रमानुसार सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षाधीन प्रारूपकार के रूप में की जायेगी।

7. पारस्परिक वरीयता:-

- (i) पूर्व से कार्यरत वैसे प्रारूपकार जिनकी नियुक्ति इस नियमावली के गठन के पूर्व हुई है उन्हें सरकारी सेवा में प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति के पश्चात् योगदान की तिथि से पारस्परिक वरीयता सूची अनुमान्य होगी। तत्पश्चात् आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त प्रारूपकारों की वरीयता सूची, मेधासूची के मेधाक्रम के अनुरूप होगी। उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य वन विभागीय प्रारूपकार संवर्ग की पारस्परिक वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के वन विभागीय कार्यालयों में नियुक्त/पदस्थापित प्रारूपकारों की एक जिलास्तरीय वरीयता सूची होगी। तदनुसार उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार प्रोन्नति आदि की कार्यवाई की जाएगी।

- (ii) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी।

8. प्रशिक्षण एवं सेवा सम्पुष्टि:-

- (क) परिवीक्षा की अवधि:- प्रारूपकार के पदों पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षाधीन अवधि दो वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में नियुक्त प्रारूपकार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम समय-समय पर विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (ख) **सम्पुष्टि:-** प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त परिवीक्षाधीन अवधि में सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सेवा सम्पुष्टि की जायेगी। सेवा सम्पुष्टि के पूर्व संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण के क्रम में राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

राजस्व पर्षद, झारखण्ड द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि तथा जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आगामी वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतनवृद्धिदेय होगी लेकिन बकाया वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

9. कर्तव्य एवं दायित्व:-

1. सर्वेक्षण एवं नक्शा का निर्माण।
2. नक्शा एवं स्वामित्व संबंधी अभिलेखों का अभिरक्षण।
3. GIS (Geographical Information Systems) & GPS (Global Positioning System) एवं इसका कम्प्यूटर पर संधारण।
4. कार्य नियोजना संबंधी मानचित्रों का निरूपण एवं पातन श्रृंखला का निर्माण एवं कार्यवृत्तों का प्रस्ताव तैयार करना।
5. अन्य कर्तव्य एवं दायित्व, जो विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं।

10. प्रोन्नति:-

- (क)(i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह- योग्यता (Seniority-Cum-Fitness) पर आधारित होगी। राज्य स्तर पर गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर योग्य प्रारूपकारों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी।
- (ii) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा प्रोन्नत पदों की संख्या का निर्धारण अथवा उसमें संशोधन समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) प्रोन्नति हेतु आदर्श रोस्टर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुरूप होगा। प्रोन्नति हेतु आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
- (iv) कालावधि:-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिपत्र के अनुरूप प्रोन्नति हेतु कालावधि निर्धारित होगी।
- (v) अन्य किसी विशेष प्रावधान हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश मान्य होंगे।

(ख) प्रोन्नति की प्रक्रिया:-

- (i) मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित) के द्वारा प्रारूपकारों को प्रधान प्रारूपकार (राज्यस्तरीय पद) के पद पर प्रोन्नति के पूर्व सभी जिलों के प्रारूपकारों की एक समेकित वरीयता का संधारण किया जायेगा जिसका आधार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित जिला स्तरीय मेधा सूची होगा।

- (ii) प्रत्येक जिला के सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, अपने कार्यालय के प्रोन्नति हेतु योग्य प्रारूपकारों की अनुशंसा मुख्य वन संरक्षक कार्मिक (अराजपत्रित) को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित) इसे समेकित कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड राँची को रोस्टर अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायेंगे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची प्राप्त रोस्टर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

- (iii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास झारखण्ड, राँची द्वारा प्रोन्नति हेतु अनुमोदित रोस्टर के आलोक में प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

- (ग) विभागीय प्रोन्नति समिति:- प्रारूपकारों को प्रोन्नति देने हेतु गठित प्रोन्नति समिति की संरचना निम्नवत् होगी:-

(i)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची	-	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची	-	सदस्य सचिव-सह-संयोजक
(iii)	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची	-	सदस्य
(iv)	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची	-	सदस्य
(v)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मनोनीत संबंधित स्थापना के प्रभारी उप सचिव	-	सदस्य
(vi)	विभागीय स्थापना समिति के लिए सरकारद्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य	-	सदस्य
(vii)	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	-	सदस्य

उपर्युक्त विभागीय समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

11. पदस्थापन/स्थानान्तरण:-

प्रारूपकारों के संबंधित अंचल के वन संरक्षक पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे। अन्तर-अंचल एवं अन्तर-रीजन स्थानान्तरण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची के स्तर से होगा।

12. अवकाश/चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त आदि के संबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी होंगे।

13. अनुशासनिक कार्रवाई:-

राज्य में प्रवृत्त झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 एवं अन्य सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

14. प्रकीर्ण:-

- (क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।
- (ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखण्डित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।
- (ग) प्रारूपकार के पद पर नियुक्त होकर योगदान देने के समय चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र में प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति-

- (क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर लागू नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/ आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।
- (ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रदत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

प्रधान सचिव।
